

## बाल अधिकारों पर संधिपत्र के तहत हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की तीसरी रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले विषयों की एक रूपरेखा

### परिचय

सरकार संयुक्त राष्ट्र (“UN”) बाल अधिकारों पर संधिपत्र (“यह संधिपत्र”)<sup>1</sup> के तहत हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (“HKSAR”) की तीसरी रिपोर्ट को पेश करने की तैयारी कर रही है। यह संधिपत्र के तहत चीन जनवादी गणराज्य (“PRC”) की सम्मिलित पांचवीं और छठी रिपोर्टों का हिस्सा होगी।

2. रिपोर्ट में मुख्य रूप से शामिल होंगे –

- (a) जुलाई 2010 में PRC की सम्मिलित तीसरी और चौथी रिपोर्ट के हिस्से के रूप में HKSAR की दूसरी रिपोर्ट (“पिछली रिपोर्ट”) प्रस्तुत करने के बाद से किए गए किसी भी नए उपायों और किसी भी महत्वपूर्ण क्रम-विकास के बारे में जानकारी; तथा
- (b) पिछली रिपोर्ट (“समापन टिप्पणियों” एनेक्स पर) में बाल अधिकारों पर UN समिति (“समिति”) द्वारा समापन टिप्पणियों में की गई सिफारिशों के जवाब।

3. रिपोर्ट की बनावट समिति द्वारा जारी बाल अधिकारों पर संधिपत्र (“दिशानिर्देश”) के अनुच्छेद 44, परिच्छेद 1(b) के तहत हस्ताक्षरित राज्यों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आवधिक रिपोर्ट के रूप और अंतर्वस्तु के बारे में संधि-विशिष्ट

---

<sup>1</sup> हांगकांग में संधिपत्र को 1994 में विस्तारित किया गया था। 10 जून 1997 को, PRC की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव को सूचित किया कि PRC द्वारा 1992 में पुष्टि किया गया संधिपत्र, PRC द्वारा HKSAR की ओर से किए गए आरक्षण और घोषणाओं के साथ, 1 जुलाई 1997 से HKSAR पर लागू होगा। 10 अप्रैल 2003 को संयुक्त राष्ट्र (UN) महासचिव को PRC के सरकार द्वारा की अधिसूचना से उक्त आरक्षण और घोषणाओं को आंशिक रूप से वापस ले लिया गया था। संधिपत्र के अनुच्छेद 44 में हस्ताक्षरित राज्यों द्वारा दिए गए अधिकारों पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्यता है जो कि मान्यता प्राप्त अधिकारों के आनंद के लिए प्रगति को उधार देती है। संधिपत्र के तहत HKSAR की रिपोर्ट UN को PRC की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई है।

दिशानिर्देशों का पालन करती है। दिशानिर्देश अलग-अलग एनेक्सों में, प्रासंगिक मानदंडों से अलग, सांख्यिकीय जानकारी की प्रतिवेदन पर भी निर्देश देते हैं।

4. स्थापित कार्य प्रणाली के अनुसार, रिपोर्ट की एक रूपरेखा परिच्छेद 6-60 में निर्धारित की गई है, जिस में हमने विषय के शीर्षकों और व्यक्तिगत विषयों की पहचान को शामिल करने की योजना बनाई है, ताकि रिपोर्ट के प्रारूपण की सुविधा मिल सके और सार्वजनिक विचारों को आमंत्रित किया जा सके।

5. संदर्भ जुलाई 2010 में प्रस्तुत पिछली रिपोर्ट के अनुसार हैं, जिसे समिति ने सितंबर 2013 में सुविचारित किया था। पिछली रिपोर्ट की प्रतिलिपि इस ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

[https://www.cmab.gov.hk/en/issues/child\\_report2.htm](https://www.cmab.gov.hk/en/issues/child_report2.htm).

अतिरिक्त संदर्भ के लिए, HKSAR की प्रारंभिक रिपोर्ट, जून 2003 में PRC की दूसरी रिपोर्ट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई और सितंबर 2005 में समिति द्वारा सुविचारित की गई, यह भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है:

[http://www.cmab.gov.hk/en/issues/child\\_report.htm](http://www.cmab.gov.hk/en/issues/child_report.htm).

संधिपत्र के पाठ और HKSAR पर इस की लागू होने पर वक्तव्य के लिए भी हमारी वेबसाइट को देखें:

[http://www.cmab.gov.hk/doc/en/documents/policy\\_responsibilities/crc.doc](http://www.cmab.gov.hk/doc/en/documents/policy_responsibilities/crc.doc).

**संधिपत्र के तहत HKSAR की तीसरी रिपोर्ट की प्रस्तावित रूपरेखा**

### **भाग I: HKSAR का सामान्य मूल दस्तावेज़**

6. "सामान्य मूल दस्तावेज़" संयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों के तहत रिपोर्टिंग पर सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देश द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप, ढाँचा और सामग्री का पालन करता है। रिपोर्ट के इस भाग में HKSAR पर लागू मानवाधिकार संधियों के कार्यान्वयन से संबंधित सामान्य और तथ्यात्मक प्रकृति की जानकारी सम्मिलित हैं।

### **भाग II: HKSAR में संधिपत्र का कार्यान्वयन**

एक धारा-दर-धारा अनुक्रम का पालन करने के बजाय, HKSAR में संधिपत्र के कार्यान्वयन से संबंधित विशेष जानकारी "गरोह"- उनके विषय के अनुसार

समूहीकृत प्रावधानों में सूचित किया जाएगा। समूहन और गरोह के प्रणाली क्रम पूर्वोक्त दिशानिर्देशों का पालन करते हैं, और कुछ अनुच्छेदों को एक से अधिक अध्याय के अंतर्गत चित्रित किया जा सकता है। UN ने संधिपत्र के तहत सभी विषयों पर रिपोर्ट करने के लिए 21,200 शब्दों की एक सख्त शब्द सीमा भी निर्धारित की है।

## **I. कार्यान्वयन के सामान्य उपाय (अनुच्छेद 4, 42 और 44 (6))**

7. यह भाग संधिपत्र के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए HKSAR के रूपरेखा का सरोकार करता है, और साथ ही इसके प्रावधानों को व्यापक रूप से ज्ञात करने के लिए उपाय भी करता है। हम संधिपत्र से संबंधित आरक्षण और घोषणाओं पर अपनी स्थिति के बारे में कोई भी अपडेट प्रदान करेंगे, जिसमें अनुच्छेद 32(2)(b) और 37(c) के संबंध में समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 7(a) की प्रतिक्रिया सहित शामिल हैं। इस अध्याय के विषय - वस्तु में शामिल हैं –

### **A. अनुच्छेद 4: अधिकारों के कार्यान्वयन**

8. हम यह रिपोर्ट करेंगे कि बच्चों के कल्याण के लिए नीतियों के संयोजन करना और योजनाओं को विकसित करने के लिए बच्चों पर आयोग की स्थापना की गई है, और उसके साथ साथ प्रासंगिक कानून, सार्वजनिक सेवाओं, संसाधन आवंटन, निगरानी व्यवस्था और नागरिक समाज के साथ सहयोग करने के प्रयासों के बारे में सामयिक जानकारी भी दी गई। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 7(b), 11, 14(c), 18 और 20 का जवाब शामिल किया जाएगा।

### **B. अनुच्छेद 42 और 44(6): संधिपत्र और रिपोर्ट का प्रसार**

9. हम समिति को बच्चों के अधिकारों के प्रोत्साहन से संबंधित सार्वजनिक शिक्षा और प्रशिक्षण उपायों में विकास पर सलाह देंगे। स्थापित अभ्यास के संदर्भ में, HKSAR की रिपोर्ट से संबंधित सार्वजनिक भागीदारी के लिए सार्वजनिक सुनवाई, विधान परिषद पैनल चर्चा, हितधारक गैर सरकारी संगठनों और अन्य उपलब्ध चैनलों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

## **II. “बच्चे” की परिभाषा (अनुच्छेद 1)**

11. इस भाग में, हम HKSAR के कानून के तहत बच्चे की परिभाषा से

संबंधित जानकारी प्रदान करेंगे, साथ ही साथ संरक्षण से बच्चों को कैसे लाभ होगा और 18 वर्ष में बहुमत की आयु तक वे कैसे अपने अधिकारों का आनंद ले सकते हैं।

12. जबकि हमारा सामान्य दृष्टिकोण पिछली रिपोर्ट के परिच्छेद 79 में बताया गया है, हम ऐसे संबंधित क्षेत्रों में कोई भी अपडेट शामिल करेंगे जैसे कि मुफ्त शिक्षा, यौन कृत्य, बाल पोर्नोग्राफी की रोकथाम, आपराधिक दायित्व, किशोर अपराधियों, नियंत्रित परिसर में प्रवेश आदि।

### **III. सामान्य सिद्धांत (अनुच्छेद 2, 3, 6 और 12)**

13. इस भाग में संधिपत्र के मुख्य सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए ढांचे के साथ-साथ विधायी, प्रशासनिक या अन्य उपायों को शामिल किया गया है, अर्थात् –

#### **A. अनुच्छेद 2: गैर-भेदभाव**

14. हम HKSAR की पिछली रिपोर्टों में निर्धारित समान अवसरों को बढ़ावा देने के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे के तहत सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए विधायी, प्रशासनिक और अन्य उपायों में किसी भी विकास की समिति को सूचित करेंगे। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 30 का जवाब शामिल किया जाएगा।

#### **B. अनुच्छेद 3: बच्चे के सर्वोत्तम हित**

15. बच्चे के सर्वोत्तम हितों पर HKSAR की सामाजिक कल्याण संस्थाओं, कानून की अदालतों, प्रशासनिक अधिकारियों और विधायी निकायों द्वारा हमेशा आवश्यक विचार किया गया है। हम परिवार/स्वास्थ्य सेवाओं, किशोर न्याय और शिक्षा के प्रशासन के प्रावधान के रूप में ऐसे क्षेत्रों में किसी भी प्रणालीगत सुधार पर समिति को अपडेट करेंगे और समापन टिप्पणियों के पैराग्राफ 32 का जवाब शामिल किया जाएगा।

### C. अनुच्छेद 6: जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार

16. HKSAR में, संवैधानिक स्तर पर जीवन का अधिकार सुरक्षित है। हम प्रासंगिक मुद्दों जैसे कि समीक्षा तंत्र, पंजीकरण और बच्चे की मृत्यु की जांच के बारे में अपडेट प्रदान करेंगे।

### D. अनुच्छेद 12: बच्चों के विचारों के लिए सम्मान

17. हम बच्चों के लिए उपलब्ध चैनलों पर हितधारक संविद, स्कूलों के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं और विशिष्ट सुविधाओं में विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से विचार व्यक्त करने के लिए जानकारी प्रदान करेंगे। समापन टिप्पणियों के अनुच्छेद 38 का जवाब दिया जाएगा।

## IV. नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता (अनुच्छेद 7, 8, और 13-17)

18. हांगकांग में बच्चों के लिए मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं को बुनियादी कानून(बेसिक लॉ) के तहत संवैधानिक स्तर पर संरक्षित किया जाता है, साथ ही हांगकांग बिल ऑफ ऑर्डिनंस और घरेलू कानून के अन्य खंडों के माध्यम से जारी रखा गया है। हमारी स्थिति आम तौर पर इस अध्याय से संबंधित मुद्दों के लिए पिछली रिपोर्ट में बताई गई है, जिसमें शामिल हैं –

### A. अनुच्छेद 7 और 8: नाम, राष्ट्रियता और पहचान का संरक्षण

19. हम जन्म या अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों में बच्चों के पंजीकरण में किसी भी बड़े परिवर्धन को समिति को सूचित करेंगे, ताकि एक नाम, राष्ट्रियता और पारिवारिक संबंधों के लिए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके।

### B. अनुच्छेद 13: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

20. हम कानून द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन, HKSAR में सूचना और विचारों को तलाश करने, प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए बच्चों को उनकी स्वतंत्रता के प्रयोग पर कोई भी अपडेट प्रदान करेंगे।

### C. अनुच्छेद 14: विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता

21. हम बच्चों के विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण उपायों और धर्म या मान्यताओं को प्रकट करने की उनकी स्वतंत्रता के बारे में कोई जानकारी प्रदान करेंगे जो केवल कानून द्वारा निर्धारित कुछ आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन हो सकते हैं।

### D. अनुच्छेद 15: संघ और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता

22. हम समिति को बच्चों की संघ की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के बारे में सूचित करेंगे, जहां कानून के अनुरूप केवल उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

### E. अनुच्छेद 16: गोपनीयता की सुरक्षा

23. हम समिति को बच्चों की निजता, परिवार, घर या पत्राचार और उनके सम्मान या प्रतिष्ठा पर गैरकानूनी हमलों के साथ मनमाने या गैरकानूनी हस्तक्षेप से बचाने के लिए किए गए उपायों के बारे में अपडेट प्रदान करेंगे।

### F. अनुच्छेद 17: उचित जानकारी तक पहुंच

24. हम मास मीडिया प्लेटफॉर्म, इंटरनेट एक्सेस आदि के माध्यम से बच्चों को विविध और लाभकारी जानकारी प्रसारित करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में और उन्हें उनकी भलाई के लिए हानिकारक सामग्री से बचाने के लिए भी रिपोर्ट करेंगे।

### V. बच्चों के खिलाफ हिंसा (अनुच्छेद 19, 24(3), 28(2), 34, 37(a) और 39)

25. विभिन्न प्रकार की हिंसा से बच्चों को बचाने के लिए रोकथाम, प्रवर्तन और समर्थन उपाय पिछली रिपोर्टिंग संरचना के तहत कई वर्गों में वितरित किए गए थे, और इस रिपोर्ट के लिए, निम्नानुसार एक अध्याय में इकट्ठा किया जाएगा-

**A. अनुच्छेद 19 और 24(3): दुर्व्यवहार, उपेक्षा और हानिकारक प्रथाएं**

26. बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने और बाल शोषण के पीड़ितों की सहायता के लिए किए गए विधायी और प्रशासनिक उपायों पर अपडेट प्रदान करेंगे। इनमें केस प्रबंधन प्रक्रिया, बच्चों की देखभाल करने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण, सार्वजनिक शिक्षा, पारिवारिक सेवाएं, बच्चों के लिए हेल्पलाइन आदि शामिल हो सकते हैं। हम समिति को यह भी सूचित करेंगे कि HKSAR में बच्चे हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं से सुरक्षित बने हुए हैं।

**B. अनुच्छेद 34: यौन शोषण और दुर्व्यवहार**

27. हम इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी (अश्लील सामग्री) और यौन शोषण सहित बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा को रोकने के लिए कानूनी संरक्षण, साथ ही कानून प्रवर्तन, शिक्षा और समर्थन उपायों में किसी भी परिवर्धन पर समिति को अपडेट प्रदान करेंगे। समापन टिप्पणियों के अनुच्छेद 46 का जवाब शामिल किया जाएगा।

**C. अनुच्छेद 37(a) और 28(2): शारीरिक दंड सहित यातना या अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के अधीन नहीं होने का अधिकार**

28. हम HKSAR में यातना और अन्य क्रूरता के खिलाफ संधिपत्र के कार्यान्वयन, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के साथ-साथ परिवारों, स्कूलों और संस्थानों, विशेष रूप से सुधारक संस्थानों में अहिंसक अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए किसी भी विकास की रिपोर्ट करेंगे। समापन टिप्पणियों के अनुच्छेद 7(c) का जवाब शामिल किया जाएगा।

**D. अनुच्छेद 39: पुनःस्वास्थ्य लाभ और सामाजिक एकीकरण**

29. बाल पीड़ितों के शारीरिक/मनोवैज्ञानिक पुनःस्वास्थ्य लाभ और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने वाले उपाय आम तौर पर रिपोर्ट के उपरोक्त भागों या अध्याय IX में शामिल किए जाते हैं।

**VI. पारिवारिक वातावरण और वैकल्पिक देखभाल (अनुच्छेद 5, 9-11, 18(1)-(2), 20, 21, 25 और 27(4))**

30. यह अनुभाग HKSAR में उपलब्ध माता-पिता और परिवार की सेवाओं को शामिल करता है, जिसमें विभिन्न वैकल्पिक देखभाल परिस्थितियों में बच्चों के लिए व्यवस्था भी शामिल है। बाहर निकलने की रूपरेखा लगातार बदलती जरूरतों के अनुरूप विकसित होती है, जैसा कि नीचे दिया गया है-

**A. अनुच्छेद 5 और 18(1)-(2): माता-पिता का मार्गदर्शन और जिम्मेदारियां**

31. हम परिवार के माहौल को बनाए रखने और बच्चों की देखभाल के लिए अपनी सामान्य जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए माता-पिता / अभिभावकों के लिए समर्थन का दृष्टांत देंगे ताकि उनकी क्षमता विकसित हो। इसमें माता-पिता के लिए परिवार परिषद, पारिवारिक सेवाओं, पारिवारिक जीवन शिक्षा और अन्य बाल देखभाल सहायता सेवाओं के काम में कोई भी विकास शामिल है।

**B. अनुच्छेद 9: माता-पिता से अलगाव**

32. हम बाल अभिभावकता और संरक्षण से संबंधित कानूनों के बारे में किसी भी अपडेट के साथ-साथ, एकल संरक्षण और हिरासत जैसी परिस्थितियों में माता-पिता से अलगाव वाले बच्चों की सुरक्षा के उपायों को समिति को सूचित करेंगे, इसमें जेल में उनकी माताओं के साथ रहने वाले बच्चे भी शामिल हैं।

**C. अनुच्छेद 10: पारिवारिक पुनर्मिलन**

33. हम नए आने वाले बच्चों और सीमा-पार परिवारों के लिए उपलब्ध सेवाओं पर अपडेट प्रदान करेंगे, साथ ही साथ समापन टिप्पणियों के अनुच्छेद 51 की प्रतिक्रिया का जवाब शामिल किया जाएगा।

**D. अनुच्छेद 27 (4): बच्चों के रखरखाव की वसूली**

34. हम बच्चों के लिए वित्तीय जिम्मेदारी वाले माता-पिता या अन्य

व्यक्तियों से बच्चे के रखरखाव की वसूली को सुरक्षित करने के उपायों के बारे में पिछली रिपोर्ट के बाद से किसी भी अपडेट की रिपोर्ट करेंगे।

**E. अनुच्छेद 20 और 25: पारिवारिक माहौल से वंचित बच्चे और प्लेसमेंट की आवधिक समीक्षा**

35. हम बच्चों को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से उनके परिवार के वातावरण से वंचित होने से रक्षा के उपायों पर समिति को अपडेट करेंगे, जिसमें संस्थानों या पालक घरों में प्लेसमेंट भी शामिल है, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था भी होगी कि बच्चों को उचित देखभाल में रखा गया है। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 55 का जवाब शामिल किया जाएगा।

**F. अनुच्छेद 21:गोद लेना**

36. हम घरेलू और अंतरदेशीय गोद लेने ,दोनों को अपनाने से संबंधित कानून और नीतियों पर कोई भी अपडेट प्रदान करेंगे। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 57 का जवाब शामिल किया जाएगा।

**G. अनुच्छेद 11: अवैध हस्तांतरण और गैर-वापसी**

37. हम HKSAR में अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण से निपटने के लिए विधायी और अन्य उपायों के संबंध में किसी भी विकास की रिपोर्ट करेंगे।

**VII. विकलांगता, बुनियादी स्वास्थ्य और कल्याण (अनुच्छेद 6(2), 18(3), 23, 24, 26, 27(1)-(3) और 33)**

38. इस भाग में HKSAR में प्रत्येक बच्चे के लिए बुनियादी स्वास्थ्य और पर्याप्त जीवन स्तर की रक्षा के लिए सेवारत विभिन्न कार्यक्रमों और संस्थानों को शामिल किया गया है। लंबे समय से चले आ रहे उपायों और नई पहलों का एक संयोजन आवश्यक सुरक्षा को लागू करता है-

**A. अनुच्छेद 23: विकलांग बच्चे**

39. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधिपत्र के अनुसार, हम विकलांग बच्चों की विशेष जरूरतों को पहचानने और इस संबंध में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम समुदाय में भाग लेने के लिए विकलांग बच्चों के लिए समर्थन उपायों पर समिति को भी अपडेट करेंगे। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद का जवाब शामिल किया जाएगा।

**B. अनुच्छेद 6 (2): अस्तित्व और विकास**

40. हम शिशु मृत्यु दर, मातृत्व सुरक्षा और अन्य मुद्दों से संबंधित कोई भी अपडेट प्रदान करेंगे जो कि बाल मृत्यु में योगदान दे सकता है, जैसे कि बीमारी, यातायात या अन्य दुर्घटनाओं, अपराध आदि।

**C. अनुच्छेद 24: स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवाएं**

41. हम प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, निवारक देखभाल, अस्पताल और विशेषज्ञ क्लिनिक सेवाओं, सार्वजनिक शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला पर समिति को अपडेट करेंगे, ताकि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रासंगिक मुद्दों के समाधान के लिए टीकाकरण, मौखिक स्वास्थ्य, पर्यावरण प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा, संचारी रोगों पर नियंत्रण, कुपोषण और मोटापा, स्तनपान संवर्धन, मानसिक स्वास्थ्य, HIV/AIDS साथ ही किशोर गर्भावस्था, तंबाकू धूम्रपान, शराब के सेवन आदि से संबंधित किशोर स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को संबोधित किया जा सके। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 72 का जवाब शामिल किया जाएगा।

**D. अनुच्छेद 33: मादक द्रव्यों के सेवन से सुरक्षा**

42. बच्चों और युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसमें नशीली दवाओं के विरोधी कार्य पर हमारा बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल है, जिसमें निवारक शिक्षा और प्रचार, उपचार और पुनर्वास, विधान और कानून प्रवर्तन, बाहरी सहयोग और अनुसंधान शामिल हैं।

### **E. अनुच्छेद 26 और 18(3): सामाजिक सुरक्षा और बच्चों की देखभाल सेवाएं**

43. कामकाजी माता-पिता के लिए बच्चों और बच्चों की देखभाल सेवाओं को लाभ पहुंचाने वाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम काफी हद तक अन्य भागों में शामिल हैं, और हम रिपोर्ट में प्रासंगिक परिच्छेद के संदर्भ सम्मिलित करेंगे।

### **F. अनुच्छेद 27(1)-(3): जीवन स्तर**

44. हम हांगकांग में जीवन स्तर की सामान्य स्थिति पर समिति को अपडेट करेंगे। हम गरीबी पर आयोग के कार्य में किसी भी प्रासंगिक विकास और सांविधिक न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन के साथ-साथ सामाजिक कल्याण, आवास, पोषण, परिवहन और आवश्यक वित्तीय पूरक तक पहुंच के संदर्भ में बच्चों की सुरक्षा के उपायों की भी रिपोर्ट करेंगे। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 74 का जवाब शामिल किया जाएगा।

## **VIII. शिक्षा, अवकाश और सांस्कृतिक गतिविधियाँ (अनुच्छेद 28 - 31)**

45. यह भाग हांगकांग में बच्चों के लिए नीतियों के कार्यान्वयन, गुणवत्ता मानकों के रखरखाव, पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधनों को सुनिश्चित करने के उपायों का पूरा आनंद लेने से संबंधित है-

### **A. अनुच्छेद 28: शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन सहित**

46. शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पिछली रिपोर्टों में निर्धारित रूपरेखा के आगे, हम पूर्व-प्राथमिक शिक्षा, निःशुल्क सार्वभौमिक बुनियादी शिक्षा, छोटे वर्ग के शिक्षण, नई शैक्षणिक संरचना, अनुदेश नीति के माध्यम, पाठ्यक्रम सुधार आदि में उल्लेखनीय विकास की समिति को सुचना देंगे। हम व्यावसायिक प्रशिक्षण के बारे में भी जानकारी देंगे।

47. प्रणालीगत विकास के अलावा, हम वित्तीय सहायता के संबंध में समर्थन उपायों पर अपडेट, साथ ही पढाई बीच में छोड़ने वाले और स्कूल में डराने धमकाने जैसी समस्याएं भी रिपोर्ट करेंगे। विशेष शैक्षिक जरूरतों वाले छात्रों की सहायता के लिए लक्षित उपाय, प्रतिभाशाली छात्र, मेनलैंड / मुख्य भूमि चीन से नए आए बच्चे, गैर-चीनी बोलने वाले बच्चे और सीमा पार के छात्रों

को भी शामिल किया जाएगा। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 78 का जवाब शामिल किया जाएगा।

## **B. अनुच्छेद 29: शिक्षा का उद्देश्य**

48. हमारा शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के सर्वांगीण विकास की सेवा करना है, जैसा कि पिछली रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है। हम समिति को शिक्षक प्रशिक्षण सहित शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाले उपायों के साथ-साथ नागरिक शिक्षा में किसी भी विकास और मानवाधिकारों, भेदभाव विरोधी, सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय मूल्यों और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति सम्मान जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं के संवर्द्धन के बारे में सूचित करेंगे।

## **C. अनुच्छेद 31: अवकाश, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियाँ**

49. बच्चों के अवकाश के अधिकार पर हाल के वर्षों में समुदाय में अधिक ध्यान दिया गया है। हम कला, संस्कृति, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल पर अपडेट प्रदान करेंगे, जिसमें बच्चों के लिए प्रदर्शन और रचनात्मकता कार्यक्रम, विरासत यात्राएं, खेल सुविधाएं और स्कूल में खेल कार्यक्रम, पुस्तकालय सेवाएं, बच्चों के खेलने की सुविधाएं आदि शामिल हैं।

## **D. अनुच्छेद 30: स्वदेशी या अल्पसंख्यक समूहों से संबंधित बच्चे**

50. अल्पसंख्यक जातीय बच्चों के लिए अपनी संस्कृतियों का आनंद लेने, अपने स्वयं के धर्मों का प्रचार और अभ्यास करने और अपनी भाषाओं का उपयोग करने का अधिकार HKSAR में संरक्षित किया जाना जारी है। हम रिपोर्ट के अन्य भागों में प्रदान की गई प्रासंगिक जानकारी के संदर्भ सम्मिलित करेंगे।

## **IX. विशेष सुरक्षा उपाय (अनुच्छेद 22, 30, 32-40)**

51. जबकि उपरोक्त अध्यायों में प्रत्येक बच्चे के अधिकारों का पूर्ण आनंद सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रयास निर्धारित किए गए हैं, यह भाग विशेष परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा के लिए किए गए उपायों पर केंद्रित है सहित -

### **A. अनुच्छेद 22: शरणार्थी बच्चे**

52. बुनियादी कानून के तहत अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी कानून के अनुसार HKSAR के सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। हम गैर-शोधन दावेदारों के बच्चों को सहायता पर कोई भी अपडेट प्रदान करेंगे, और समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 84 का जवाब शामिल किया जाएगा।

### **B. अनुच्छेद 30: सड़क पर रहने या सड़क पर काम करने वाले अल्पसंख्यक बच्चों की स्थिति**

53. हांगकांग में बच्चों के रहने या सड़क पर काम करने की घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं। अल्पसंख्यक जातियों सहित अन्य समूहों में बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों को रिपोर्ट के अन्य भागों में शामिल किया गया है।

### **C. अनुच्छेद 32 से 36: शोषण की स्थितियों में बच्चे**

54. बच्चों को यौन शोषण से बचाने के उपाय (अनुच्छेद 34) और बच्चों के खिलाफ हिंसा के बारे में अध्याय V में दुर्व्यवहार को शामिल किया गया है। जबकि मादक द्रव्यों के सेवन (अनुच्छेद 33) के मुद्दे को सार्वजनिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अध्याय VI में संबोधित किया गया है, हम इस भाग के तहत नशीली दवाओं (ड्रग्स) की अवैध उत्पादन और तस्करी में बच्चों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा के बारे में जानकारी के पूरक होंगे।

55. इसके अलावा, हम बाल श्रम (अनुच्छेद 32) सहित आर्थिक शोषण के खिलाफ उपायों को समिति को सूचित करेंगे, जैसे कि प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय संधिपत्रों के कार्यान्वयन और शिक्षता अध्यादेश और न्यूनतम वेतन अध्यादेश के संबंध में विधायी संरक्षण को लागू करना, जो हांगकांग में युवा कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है।

56. हम बच्चों की बिक्री, तस्करी और अपहरण से निपटने के उपायों (अनुच्छेद 35) में किसी भी विकास की रिपोर्ट करेंगे, साथ ही बच्चों के कल्याण के प्रतिकूल शोषण (अनुच्छेद 36) के किसी अन्य रूप से सुरक्षा भी करेंगे। *बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल पोर्नोग्राफी पर संधिपत्र के लिए वैकल्पिक प्रोटोकॉल* के संबंध में HKSAR की स्थिति पर समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 91 का जवाब शामिल किया जाएगा।

#### **D. अनुच्छेद 37 और 40: कानून के साथ संघर्ष में बच्चे**

57. कानूनी कार्यवाही के दौरान और जहां युवा अपराधी स्वतंत्रता से वंचित हैं, दोनों को HKSAR में किशोर न्याय के प्रशासन की सामान्य विशेषताओं की पिछली रिपोर्टों में समझाया गया है। हम मानवता के साथ व्यवहार के उपचार और प्रतिष्ठा के लिए सम्मान, न्यायालयों में बच्चों का प्रतिनिधित्व और कानूनी सहायता, आपराधिक उत्तरदायित्व की न्यूनतम आयु और नजरबंदी / कारावास के विकल्पों के साथ पर्याप्त सजा के विकल्पों के लिए सुरक्षा उपायों पर समिति को अपडेट करेंगे।

58. हम कानून के साथ संघर्ष में आने वाले बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा उपायों पर किसी भी विकास की रिपोर्ट भी करेंगे, जिसमें वयस्कों से युवा अपराधियों को अलग करना, साथ ही किशोर न्याय के प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण भी शामिल है। समापन टिप्पणियों के परिच्छेद 94 का जवाब शामिल किया जाएगा।

#### **E. अनुच्छेद 38: सशस्त्र संघर्ष में बच्चे**

59. अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्थापित परिभाषाओं के संबंध में, HKSAR एक लंबे समय से सशस्त्र संघर्ष में शामिल नहीं हुआ है। हम शत्रुता से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करेंगे।

#### **F. अनुच्छेद 39: वसूली और सामाजिक एकीकरण**

60. हिंसा, शोषण और अन्य हानिकारक स्थितियों के शिकार बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सुधार को बढ़ावा देने के उपायों के रूप में आम तौर पर अन्य भागों में ऊपर शामिल किए जाते हैं, हम रिपोर्ट में प्रासंगिक परिच्छेदों के संदर्भ में सम्मिलित करेंगे और किशोर अपराधियों के लिए पुनर्वासन में किसी भी विकास के पूरक होंगे।

## जनता के विचारों का निमंत्रण

61. हम जनता के सदस्यों को उपरोक्त विषयों के संबंध में संधिपत्र के कार्यान्वयन पर अपने विचार प्रस्तुत करने और रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले किसी भी अतिरिक्त विषयों का सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

62. रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त विषयों का सुझाव देने के लिए, कृपया संकेत दें कि वे मुद्दे हांगकांग में संधिपत्र के आवेदन के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक क्यों हैं। इस निवेदन में सरकार द्वारा ऐसे मुद्दों से निपटने के बारे में कोई विचार भी शामिल हो सकते हैं।

63. कृपया व्यक्तिगत आंकड़ा की गोपनीयता पर निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें -

- जनता के सदस्यों को इस रूपरेखा में राय प्रदान करने पर अपना व्यक्तिगत आंकड़ा देना स्वैच्छिक है। एकत्रित प्रस्तुतिकरण और व्यक्तिगत आंकड़ों को संबंधित सरकारी ब्यूरो तथा विभागों को रिपोर्ट की तैयारी में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित और रिपोर्ट से संबंधित आगामी अनुवर्ती कार्यवाही के उद्देश्य से हस्तांतरित किया जा सकता है। आंकड़े प्राप्त करने वाला सरकारी ब्यूरो तथा विभाग केवल इस तरह के उद्देश्यों के लिए आंकड़े का उपयोग कर सकते हैं।
- व्यक्ति और संस्थाएं जिन्होंने इस रूपरेखा के जवाब में प्रस्तुतियाँ प्रस्तावित की हैं ("प्रतिवादियों"), उनके नाम और उनके विचारों को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए प्रकाशित किया जा सकता है या सार्वजनिक निरीक्षण के लिए, इंटरनेट में अपलोड किया जाना सहित, उपलब्ध कराया जा सकता है। हम, या तो दूसरों के साथ विचार-विमर्श में, चाहे निजी तौर पर या सार्वजनिक रूप से, या किसी भी आगामी रिपोर्ट में, इस रूपरेखा के जवाब में पेश किए गए टिप्पणियों का उल्लेख कर सकते हैं।
- प्रतिवादियों के प्रस्तुतिकरण को प्रकाशित करते समय, उनकी गोपनीयता की रक्षा करने के लिए, हम प्रतिवादियों के संबंधित आंकड़े (नाम के अलावा), जैसे कि आवसीय/ वापसी पता, ईमेल पता, पहचान कार्ड नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, और हस्ताक्षर जहां प्रदान किए गए हैं, को हटाएंगे।
- हम प्रतिवादियों के गुमनाम रहने और/या विचारों को अंशतः या संपूर्ण में

गोप्य रखने की इच्छा का सम्मान करेंगे। यदि प्रतिवादी अपने प्रस्तुतिकरण में गुमनाम रहने का अनुरोध करते हैं, तो उनके प्रस्तुतिकरण को प्रकाशित करते समय उनके नाम को हटा दिया जाएगा। यदि प्रतिवादी गोप्य रहने का अनुरोध करते हैं, तो उनके प्रस्तुतिकरण को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यदि प्रतिवादी अपने प्रस्तुतिकरण में गुमनामी या गोप्य रहने का अनुरोध नहीं करते, तो यह माना जाएगा कि प्रतिवादियों को नामित कर सकते हैं और उनके विचारों को संपूर्णता में प्रकाशित किया जा सकता है।

- इस ब्यूरो को प्रस्तुतिकरण में व्यक्तिगत आंकड़ा प्रदान करने वाले किसी भी प्रतिवादी के पास उस व्यक्तिगत आंकड़े तक पहुँचने और सुधार करने का अधिकार होगा। आंकड़े तक पहुँचने या व्यक्तिगत आंकड़ा सुधारने के लिए किसी भी अनुरोध को परिच्छेद 64 में उल्लेखित चैनलों के माध्यम से लिखित रूप में किया जाना चाहिए।

64. हम सभी प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर ध्यान से विचार करेंगे। कोई भी व्यक्ति या संस्था जो अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उन्हें 9 अप्रैल 2021 तक या उससे पहले कन्स्टीट्यूश्रल एंड मैनलैंड अफैयर्स ब्यूरो में भेजने के लिए आमंत्रित किया जाता है:

डाक द्वारा: Team 5  
Constitutional and Mainland Affairs Bureau  
Central Government Offices  
12/F, East Wing  
2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong

फैक्स द्वारा: 2840 0657

ईमेल द्वारा: [crc\\_consultation@cmab.gov.hk](mailto:crc_consultation@cmab.gov.hk)

कन्स्टीट्यूश्रल एंड मैनलैंड अफैयर्स ब्यूरो  
फरवरी 2021

[इस दस्तावेज़ का चीनी / अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है। यदि चीनी / अंग्रेजी संस्करण और अनुवादित संस्करण के बीच कोई असंगतता है, तो चीनी / अंग्रेजी संस्करण प्रबल होगा।]